कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-34 दिनांकः 12/04/16

परिपत्र

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः डब्ल्यू. आई.ए./आई-13015/पी.28/211-15/976 दिनांक 26.11.2015 के अनुसरण में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट-XI के अन्तर्गत "संविदा की शर्तें" के क्लॉज 45 एवं क्लॉज 45(क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में जिन कार्यों पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर एस्केलेशन की गणना करने के पश्चात ही फाइनल बिल का भुगतान किये जाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी- 718 दिनांक 01.01.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया था।

श्री धीरेन्द्र भटनागर द्वारा सा.नि.वि. के कार्यों में अनुबन्ध के क्लॉज 45 के तहत ऋणात्मक एस्केलेशन की वसूली ठेकेदारों के बिलों से करवाने बाबत मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाये गये पत्र के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि:-

1. गत 2 वर्षों में डामर व डीजल की दरों में बार-बार घटत हुई है। अतः विभाग के सभी कार्यों (राशि 50.00 लाख से ज्यादा व 3 माह से अधिक समय के कार्यों) में क्लॉज 45 के अन्तर्गत एस्केलेशन का प्रावधान है। यह एस्केलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी भी बिल का भुगतान किये जाने से पूर्व इसकी गणना आवश्यक तौर पर की जानी चाहिए।
2. खण्ड कार्यालयों से अनुमोदन हेतु उच्च कार्यालय को भिजवाने जाने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों (Excess/Extra items, Final Deviation & Final Time Extension) के साथ कार्य के निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर समय अवधि (Spanwise) के अनुसार एस्केलेशन की गणना का विवरण की जांच/संलग्न कर इस कार्यालय को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।
3. सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता एवं खण्डीय लेखाकार का दायित्व होगा कि कार्य के निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर समय अवधि (Spanwise) के अनुसार एस्केलेशन की गणना का एस्केलेशन (ऋणात्मक/धनात्मक) की गणना के बिना फाईनल बिल पारित नहीं करे।
4. फाईनल बिल के सर्टिफिकेट में अधिशाषी अभियन्ता एवं खण्डीय लेखाकार द्वारा यह बिन्दु भी अकित करना होगा कि "अनुबन्ध के क्लाज 45 का एस्केलेशन बिल बनाया जाकर उसका प्रभाव अन्तिम बिल में समायोजन कर लिया गया है।"
5. सभी ऑडिट पार्टियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऑडिट के दौरान सभी फाईनल बिलों की ऑडिट की जावे तथा यह सुनिश्चित कर लेवें कि कोई भी फाईनल बिल का भुगतान बिना एस्केलेशन की गणना के नहीं किया गया है।
6. यदि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्य के फाइनल बिल मेटेरियल की दरों में वृद्धि/कमी को मध्यनजर रखे बिना भुगतान करने के कारण हुई वित्तीय अनियमित्ता/हानि के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबन्धित खण्डीय अधिकारी की ही होगी।

(जी. एल. राव) 11-4-16
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/15-16/डी-34 दिनांकः 12/04/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 23.02.2016 की अनुपालना में।
2. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
5. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत-कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
7. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी आंतरिक जांच दल (मुख्यालय/ समस्त-संभाग), सा.नि.वि., राज.।
8. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
10. रक्षित पत्रावली।

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर